Office of the Accountant General (A&E), Kerala,
P.B.No.5607, M.G.Road, Thiruvananthapuram-695039,
Phone: 0471-2330311, Fax: 0471-2330242.

P19/II/DRSSA-83/UP **Dated: 23/01/2017**

To

All District/Sub Treasury Officers

Sir,

Sub: Delinking of revised pension of pre- 01/01/2006 pensioners from 33 years of qualifying service –reg.

Ref: 1.SSA No.Pension/872 dated:21/10/2016 of The Accountant General(A&E)-II, Uttarpradesh.
2. OM No-22/2016/Gen-3-342/X-2016-308/97 T.C dated 05/07/2016 of Finance (General) Department, Government of Uttar Pradesh.

I am to enclose herewith copy of Resolution issued by the Finance (General) Department, Government of Uttar Pradesh regarding Delinking of revised pension of pre-01/01/2006 pensioners from 33 years of qualifying service and SSA regarding the same issued by The Accountant General(A&E)-II, Uttar Pradesh. The same is being placed in the official website of this office (www.agker.cag.gov.in). under the link:-"*Treasury endorsement of orders of other states*". A copy of this letter may be exhibited on the notice board of the treasury.

Yours faithfully

Accounts Officer

Copy to:-
The Director of Treasuries
Thiruvananthapuram

s/d
Accounts Officer

कार्यालय महालेखाकार (ले॰ व हक॰)-II
20 सरोजिनी नायडू मार्ग उ॰प्र॰ इलाहाबाद
Phones: Off. 2622625-26 Fax; 0532- 2624402
पत्रांक:- पेंशन विविध/ 872
दिनांक-21-10-2016

सेवा में,

महालेखाकार (ले॰ व हक॰) Kerala
P.B. No-5607
Thiruvananthapuram 695039

03 NOV 2016

विषय:- वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या- 22/ 2016/ सा-3-342/ दस- 2016-308/ 97 टी॰ सी॰ लखनऊ: दिनांक 05-07-2016 । दिनांक 01-01-2006 के पूर्व स पेंशनरों की पुनरीक्षित पेंशन को 33 वर्ष की अहंकारी सेवा स डी-लिंक किया जाना ।

महोदय,

उत्तरप्रदेश वित्त विभाग द्वारा जारी उपरोक्त आदेशों की प्रतीयों संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

आपसे अनुरोध है ई उक्त आदेश अपने क्षेत्राधिकार के अन्तगर्त समस्त कोषाधिकारी/ पेंशन भुगतान अधिकारियों को प्रसारित कर नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित कर्ण का कष्ट करे तथा प्रति इस कार्यालय को भी प्रेषित करने की कृपा करे ।

संलग्न:- यथोपरि

भवदीय

लेखाधिकारी/ पेंशन विविध

Office of the Principal Accountant General (A&E)-II
20 Sarojini Naidu Marg, U.P. Allahabad
Phones: Off. 2622625-26 Fax; 0532-2624402
Letter No:- Pension Miscellaneous/872
Dated 21.10.2016

To

The Accountant General(A&E), Kerala
P.B. No.-5607
Thiruvananthapuram-695039

Sub : Finance (General) Section - 3, G O No. 22/2016/Gen-3-342/X-2016-308/97 T. C. Lucknow, dated 05-07-2016. Delinking of revised pension of pre 01-01-2006 pensioners from 33 years of qualifying service.

Sir,

Copies of above orders issued by Uttar Pradesh, Department of Finance are being sent enclosed herewith.

You are requested that after circulating the above orders to all Treasury Officers, Pension Payment Officers under your jurisdiction, kindly give direction for taking action as per rules and may kindly be forwarded to this office also.

Enclosed :- As above

Yours Faithfully

Sd/-
Accounts Officer/Pension Miscellaneous

उत्तर प्रदेश शासन
वित्त(सामान्य)अनुभाग-3
संख्या-22/ 2016/ सा-3-342/ दस-2016-308/ 97 टी0सी0
लखनऊ : दिनाँक : 05 जुलाई, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

विषय:- दिनाँक 01-01-2006 के पूर्व के पेंशनरों की पुनरीक्षित पेंशन को 33 वर्ष की अर्हकारी सेवा से डी-लिंक किया जाना।

कार्यालय-ज्ञाप संख्या-सा- 3- 1515/ दस- 2008- 308/ 97, दिनाँक 08-12-2008 के प्रस्तर-4(1) में यह व्यवस्था की गयी है कि दिनाँक 01-01-2006 के पूर्व के पेंशनरों की दिनाँक 01-01-2006 से पुनरीक्षित पेंशन की धनराशि, सेवानिवृत्ति के समय उसके वेतनमान के प्रतिस्थापन पे-बैण्ड के न्यूनतम तथा ग्रेड-पे के योग के पचास प्रतिशत से कम नही होगी परन्तु जहाँ अर्हकारी सेवा 33 वर्ष से कम रही हो, ऐसे मामलों में न्यूनतम पेंशन की राशि अनुपातिक रूप से कम कर दी जायेगी किन्तु किसी भी दशा में यह रू0 3500/ - प्रति माह से कम नही होगी।

2- कार्यालय-ज्ञाप संख्या-सा-3-1358/ दस-2010, दिनाँक 19 जुलाई, 2010 के साथ संलग्न तालिका में उल्लिखित न्यूनतम पेंशन की धनराशियाँ का कार्यालय-ज्ञाप संख्या- सा - 3 - जी0 आई0 -02/ दस-2014-308/ 97, दिनाँक 14-07-2014 तथा कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 4/ 2016- सा -3-75/ दस-2016-308/ 97, दिनाँक 21-01-2016 द्वारा संशोधित की गयी है, के प्रस्तर-2 में भी इसी आशय का प्रतिबन्ध उल्लिखित है। दिनाँक 19-07-2010 के कार्यालय-ज्ञाप के संलग्नक में अंकित दिनाँक 01-01-2006 से न्यूनतम पेंशन की धनराशियाँ कार्यालय-ज्ञाप संख्या- सा -3- जी0 आई0 -02/ दस-2014-308/ 97, दिनाँक 14-07-2014 तथा कार्यालय-ज्ञाप संख्या-4/ 2016-सा-3-75/ दस-2016-308/ 97, दिनाँक 21-01-2016 द्वारा संशोधित की जा चुकी है।

--2/ -

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- भारत सरकार के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-38/ 37/ 08/ पी एण्ड पी डब्ल्यू (ए), दिनाँक 06-04-2016 के प्रस्तर-6 में यह व्यवस्था की गयी है कि "कि 2006 से पूर्व सेवानिवृत्त हुये पेंशन भोगियों की संशोधित समेकित पेंशन, उनकी सेवानिवृत्ति के समय 33 वर्ष से कम अर्हक सेवा होने के बावजूद, पेंशन को यथानुपात घटाए बिना निर्धारण तालिका (फिटमेंट टेबल) के अनुसार, संशोधन पूर्व वेतनमान के तदनुरूपी वेतन बैण्ड में वेतन और ग्रेड-पे (जहाँ लागू हो) में न्यूनतम वेतन के 50 प्रतिशत से कम नही होनी चाहिए।"

4- भारत सरकार के उपरोक्त कार्यालय-ज्ञाप दिनाँक 06-04-2016 में दी गयी उपर्युक्त व्यवस्था के क्रम में राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि कार्यालय-ज्ञाप संख्या-5/ 16-सा-3-75/ दस-2016-308/ 97 टी0सी0, दिनाँक 21-01-2016 के संलग्नक में विभिन्न वेतनमानों के सम्मुख अंकित पुनरीक्षित न्यूनतम पेंशन की धनराशि में प्रो-रेटा कमी नही की जायेगी, भले ही पेंशनर की अर्हकारी सेवा 33 वर्ष से कम रही हो। इन आदेशों के अन्तर्गत पेंशन पुनरीक्षण इस शासनादेश के संलग्नक में दिये उदाहरण द्वारा समझाया गया है ।

5- शासनादेश संख्या-सा-3-1515/ दस-2008-308/ 97, दिनांक 08-12-2008 तथा तदविषयक अन्य उपरिसंदर्भित आदेश इस सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे।

6- यह व्यवस्था तात्कालिक प्रभाव से लागू होगी। इन आदेशों के अनुसार न्यूनतम पेंशन के संशोधन के फलस्वरूप एरियर का भुगतान देय नहीं होगा ।

7- इन आदेशों के अन्तर्गत पेंशन का संशोधन वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-सा-3-1541/ दस-2008-308/ 97 टी0सी0, दिनांक 07-01-2009 की व्यवस्था अनुसार उस कोषागार द्वारा किया जायेगा जहा से पेंशनर अपनी पेंशन प्राप्त कर रहा है।

8- कृपया उपयुक्तानुसार कार्यवाही तत्परता से सुनिश्चित की जाये।

संलग्नक: यथोक्त।

अजय अग्रवाल
सचिव, वित्त।

--3/ -

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।